Getting Centre to divide OBC quota

केंद्र करे ओबीसी का विभाजन

THE PROPOSAL PUT FORWARD BY THE NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES REGARDING BIFURCATION OF THE CENTRE'S LIST OF OBCS IS A WELCOME MOVE AND IN CONSONANCE WITH THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ओबीसी की केंद्रीय सूची के विभाजन का प्रस्ताव बहुत ही सराहनीय है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है

HARIBHAU RATHOD

I read Ashok Yadav's cover story titled "OBC Quota Division: States' Job, Not Centre's" in the July 2015 issue of *FORWARD* PRESS, in which he argues that the problem of disproportionate representation in the seats of power cannot be solved by dividing the central OBC list and that, instead, this should be done at the level of the states. He also said that no purpose would be served if the Centre draws up a separate list of EBCs but the states do not do so. I disagree with his contentions. I am of the view that the OBC list should be bifurcated not only at the level of the states but also at the central level.

It is believed that more than half (around 52 per cent) of the country's population are OBCs. In the present circumstances, bifurcation of the OBC category at the central as well as state levels is not only necessary but unavoidable. This becomes clear in the context of the reservation policy enunciated by Babasaheb Ambedkar and the Constitutional provisions for ensuring social justice.

हरिभाऊ राठौड

फारवर्ड प्रेस के जुलाई 2015 अंक में 'ओबीसी आरक्षण विभाजन : केंद्र नहीं, राज्यों का काम' शीर्षक से अशोक यादव की आवरणकथा पढ़ी। उनका कहना है कि सत्ता केंद्रों में गैर-आनुपातिक प्रतिनिधित्व की समस्या का निराकरण, केंद्रीय ओबीसी सूची का विभाजन कर नहीं किया जा सकता। यह कार्य राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। यदि केंद्र की सूची में विभाजन किया जाता है और राज्यों में नहीं किया जाता तो इससे हालात जस के तस बने रहेंगें। उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। दरअसल, ओबीसी सूची का विभाजन राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार की सूची में भी होना जरूरी है।

ऐसा माना जाता है कि पूरे देश की आबादी में आधे से ज्यादा (52 प्रतिशत) ओबीसी हैं। आरक्षण के संदर्भ में ओबीसी का विभाजन, केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी किया जाना आज की परिस्थिति में वांछनीय ही नहीं अत्यावश्यक है। बाबासाहेब आंबेडकर ने आरक्षण की जो नीति बनाई थी तथा सामाजिक न्याय संबंधी संविधान में जो भी प्रावधान हैं, उन्हें देखा जाए तो आज ओबीसी के विभाजन की जरूरत और अधिक महसूस होती है।

The Preamble to the Constitution guarantees to all citizens justice, whether it is social, economic or political; liberty; equality; and fraternity. Article 14 says, "The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India." This means that "unequals" cannot be treated equally. Measures are required to bring the socially and educationally backward classes on a par with the forward classes. Articles 16(4) and 15(4) of the Constitution empowers the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, such as reservations in jobs and in admission to educational institutions.

In 1955, the Government of India appointed the Kaka Kalelkar Commission, in keeping with the provisions of Article 340 of the Constitution. This Commission, in its report, included in the category of OBC, some castes which were worse off than the rest. These were classified as denotified and nomadic castes. The Government of India, however, rejected the report of the Commission.

In 1871, the British had promulgated a draconian law called the Criminal Tribes Act to deal with the so-called criminal tribes in the country. After Independence, in 1949, the Iyengar committee was constituted to study this law. On the basis of the report of the committee, a bill was tabled in Parliament to repeal the act. Participating in the debate on this bill, Shripal Singh, a respected parliamentarian from Bihar, said that mere repealing of the act wouldn't suffice. He said we, as a country, would not be doing justice to these communities till they were given reservations and educational facilities like those for the SCs and STs, as well as a separate budgetary allocation.

Many of the states started implementing reservations for the backward classes in appointments to government services as well as in admissions to educational institutions before and immediately after the Constitution came into force. The Government of Maharashtra carved out a separate quota for Denotified Tribes (DNT) in 1961 from the OBC quota. As the reservations were not provided for such classes in the central government services and educational institutions, the Government of India appointed the Mandal commission under Article 340 of the Constitution. The Mandal Commission recommended 27 per cent reservation for the socially and educationally backward classes in government services, apart from various other recommendations such as educational concessions, financial assistance, structural changes, etc. The Mandal Commission, while drafting the report, kept in view the Supreme Court's pronouncement with regard to the maximum reservation allowed for the socially and educationally backward classes under Articles 15 (4) and 16 (4) and the sub-groups within the OBCs. L.R. Naik, one of the members of the Commission, recorded a note of dissent for the volumes VII onwards of the report. He was of the view that the state-wise list of Other Backward Classes should be split into two parts – the intermediate backward classes and the depressed backward classes. But the majority of the members did not accept L.R. Naik's proposal.

संविधान की उद्देशिका, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देती है। अनुच्छेद 14 कहता है, 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा' इसका अर्थ यह है कि जो 'असमान' हैं, उनके साथ सामान व्यवहार नहीं किया जा सकता। सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को अगड़ों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) व 15(4), राज्य को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों की बेहतरी के लिए नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं।

सन 1955 में भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत काका कालेलकर आयोग गठित किया था और इस आयोग ने ऐसी जातियों को ओबीसी में शामिल किया था, जिनके सदस्य ओबीसी से भी बदतर जीवन जी रहे थे। इन्हें विमुक्त और घूमंतू की श्रेणी में रखा गया था। भारत सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इससे भी पहले, देश में जो कथित अपराधी जातियां थी, उनके लिए अंग्रेजों ने 1871 ईसवी में 'क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट' नामक काला कानून बनाया था। आजादी के बाद, सन 1949 में इस कानून के अध्ययन के लिए आयंगर समिति बनाई गयी। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद, 1952 में इस कानून को रद्द करने हेतु संसद में बिल पेश हुआ। इस बिल पर बहस के दौरान अपने भाषण में बिहार के एक सांसद श्रीपाल सिंह ने कहा था कि केवल इस कानून को रद्द करने से काम नहीं चलेगा। इन समुदायों को जब तक अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह आरक्षण व शिक्षा सुविधाएं प्रदान नहीं कीं जातीं और उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान नहीं किये जाते, तब तक देश इन समुदायों के साथ न्याय नहीं कर सकेगा।

कई राज्यों ने संविधान के लागू होने से पहले और उसके तुरंत बाद, पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया। महाराष्ट्र सरकार ने 1961 में ओबीसी कोटा को विभाजित कर विमुक्त जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। चूँकि इन वर्गों को केन्द्र सरकार की सेवाओं और केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, इसलिए भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, मंडल आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। साथ ही, आर्थिक सहायता, संस्थागत परिवर्तनों व शैक्षणिक अहर्ता में छूट जैसी अन्य सिफारिशें भी कीं। अपनी रपट में, मंडल आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 15(4) व 16(4) के तहत आरक्षण की उच्चतम सीमा के निर्धारण व ओबीसी के वर्गीकरण संबंधी निर्णयों को ध्यान में रखा। आयोग के एक सदस्य एलआर नाईक ने रपट के खंड सात में सिफारिशों से अपनी असहमति जाहिर करते हुए एक नोट लिखा। नाईक ने यह मत व्यक्त किया कि ओबीसी की राज्य-वार सूची को दो भागों में बांटा जाना चाहिए - एक मध्यम पिछड़ी जातियां और दूसरा अति पिछड़ी जातियां। परन्तु बहुसंख्यक सदस्यों ने नाईक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

अपने नोट में नाईक ने यह भी कहा था कि ओबीसी में जो अगड़ी जातियां हैं, वे पिछड़ी जातियों को आगे नहीं आने देंगीं और भविष्य में अधिक पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां संगठित होकर अपने नेतृत्व का खुद निर्माण करेंगीं।

Naik said that because the better off among the backward classes would not allow the rest of the Backwards to progress in the future, the most backward and extremely backward castes would have to unite and build their own leadership.

Now, if the OBC list is not divided at the state as well as at the central levels, the EBCs and denotified, nomadic and depressed backward classes will not be able to take advantage of the 27 per cent reservation for OBCs. In the case of Maharashtra, on the suggestion and recommendation of Tata Institute of Social Sciences and the Planning Commission, the state government, in 1961, split the OBC quota to provide reservation to these classes. That has helped the denotified, nomadic and extremely backward classes to take advantage of the OBC reservation.

In its judgment on the case Indra Sawhney versus Union of India, the Supreme Court, referring to the Mandal commission's recommendation of providing 27 per cent reservation to the OBCs, said, "There is no Constitutional bar to classification of backward classes into more backward and backward classes for the purposes of Article 16(4). The distinction should be on the basis of degrees of social backwardness. In case of such classification, however, it would be advisable – nay, necessary – to ensure equitable distribution amongst the various backward classes to avoid lumping so that one or two such classes do not eat away the entire quota leaving the other backward classes high and dry."

Paragraph 802 of the judgment says there is nothing in the Constitution or the laws to stop a state from dividing the backward classes into backward and more backward classes. The judges add that that they are not saying that it ought to be done but only that if it is done, it will be valid. They have explained their stand using an illustration of two occupational groups, goldsmiths and Vaddes (traditional stone cutters). If both of them are included in one category, goldsmiths will take away all the reserved posts, leaving none for Vaddes. Therefore, the state may have to think of carving out a quota for the more backward from the quota for the backward classes so that the benefits intended for them don't go to others who can do without them.

The Department of Social Justice in the Ministry of Social Justice and Empowerment, in its national conference held on 25 April 2005 in New Delhi, had passed a resolution to split the OBCs into Backward Classes and Most Backward Classes. The observation made was that since there were no subgroups in the central list of OBCs, there was a possibility of comparatively less backward castes/communities cornering benefits of reservation and other facilities. Thus, in the long term, quotas within the quota were necessary to bridge the gap between different, unequal groups among the backward classes. According to the resolution, as and when the states and union territories completed drawing up categories within their respective lists of backward classes, measures could be taken for the categorization of the central lists of backward classes for each state.

Dr Ambedkar had once said that if two horses – one strong and another weak – are fed from the same basket of gram, the strong one will gobble up the entire stock, leaving little for the weak one. This is what is exactly happening vis-à-vis the OBC quota

आंबेडकर ने कहा था कि अगर एक टोकरी में चने डालकर एक सशक्त और एक कमजोर घोड़े को खिलाया जाए तो सशक्त घोड़ा पूरा चना खा जाएगा और कमजोर घोड़े को कुछ नहीं मिलेगा। यही आज ओबीसी कोटा के मामले में हो रहा है

अगर ओबीसी सूची का विभाजन राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय स्तठर पर भी नहीं होता है तो ओबीसी में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जैसे विमुक्त, घुमंतू और अति पिछड़ी जातियां, वे इस 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं उठा पायेंगीं। महाराष्ट्र में टाटा इंस्टियूट ऑफ़ सोशल साइंसेज और योजना आयोग के सुझाव और सिफारिश के आधार पर, 1961 में इन तबकों को ओबीसी कोटा को विभाजित कर आरक्षण दिया गया और इसका काफी लाभ विमुक्त व घुमंतू जैसी अत्यंत पिछड़ी जातियों ने उठाया और आज भी उठा रहीं हैं।

मंडल आयोग की सिफारिश के अनुरूप 27 प्रतिशत आरक्षण देने के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार प्रकरण में अपने निर्णय ने कहा था कि 'अनुच्छेद 16(4) के तहत, पिछडी जातियों को पिछड़ी और अधिक पिछड़ी जातियों में वर्गीकृत करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। यह वर्गीकरण, सामाजिक पिछड़ेपन के परिमाण के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का वर्गीकरण किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि विभिन्न पिछड़ी जातियों के बीच लाभों का न्यायसंगत बंटवारा किया जाए ताकि ऐसा न हो कि केवल एक या दो जातियां पूरे कोटे पर कब्ज़ा कर लें और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कुछ न बचे'।

निर्णय के पैराग्राफ 802 में न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा पिछड़ी जातियों को पिछड़ी व अधिक पिछड़ी में वर्गीकृत करने में कोई विधिक या संवैधानिक बाधा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वह यह नहीं कह रहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए वरन केवल यह कि यदि ऐसा किया जाता है तो वह वैध होगा। अपने निर्णय में न्यायालय ने दो पेशेवर समूहों का उदहारण देते हुए कहा कि यदि सुनारों और वाडी (पारंपरिक पत्थर तोड़ने वाले) को एक श्रेणी में रख दिया गया तो सुनार सभी आरक्षित पदों पर कब्ज़ा कर लेगें और वाडियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए राज्य को ओबीसी का वर्गीकरण करने पर विचार करना होगा ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को उनकी उचित हिस्सेदारी मिल सके।

नयी दिल्ली में 25 अप्रैल, 2005 को आयोजित सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय संगोष्ठी में केन्द्रीय ओबीसी सूची को पिछड़ी व अति-पिछड़ी जातियों में विभाजित करने की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि ओबीसी सूची का वर्गीकरण नहीं किया गया तो यह सम्भावना बनी रहेगी कि पिछड़ी जातियों में से तुलनात्मक रूप से कम पिछड़ी जातियां, आरक्षण व अन्य सुविधाओं का अधिक लाभ उठा लें और अधिक या अति पिछड़ी जातियां नुकसान में रहें। वर्गीकरण से पिछड़ी जातियों में परस्पर असमानता को समाप्त करने में मदद मिलेगी. जब

In 2006, the Balkrishna Renke Commission was constituted to make recommendations for the development of the nomadic castes. This commission submitted its report to the Government of India in 2008, in which it recommended that that the denotified and nomadic castes should be given 10 per cent reservation. But this recommendation could not be implemented as the government did not have any credible figures on the population of these castes. Given this state of affairs, the government's decision to conduct a caste census has been a good one.

In 2015, Dadasaheb Idate Commission was constituted. It was given the task of drawing up a comprehensive list of all Denotified Tribes of the country and make recommendations for their development and growth. The commission has begun its work but it will take at least two years to complete the report. We want that the Commission to submit its interim report. We have raised this issue before the National Commission for Backward Classes. We also want the 27 per cent quota for the OBCs to be divided and the EBCs to be given all the facilities and concessions provided to the SCs and the STs.

We have been saying this for the last 20 years and a big movement has been launched in the country on this issue. An article of mine published in the *FORWARD* Press November 2011 issue titled "DNTs need bifurcation of OBC" had won wide appreciation. Since the implementation of Mandal Commission report in 1993, it has been found that the IAS, IPS and IFS officers recruited by the UPSC under the OBC quota mostly belong to a handful of upper backward castes of select states.

That is why I am in sharp disagreement with Ashok Yadav and I want to emphatically state that the proposal put forward by the National Commission for Backward Classes regarding bifurcation of the central list of OBCs is a welcome move and in consonance with the principles of social justice. The proposal encapsulates the basic premises of the reservation policy of Chhatrapati Shahuju Maharaj and Dr Ambedkar. I believe that the leaders of the better-off OBCs should not politicize this issue. They should allow the deprived and the oppressed from among the OBCs to grow and prosper. We should also try to ensure that Karpoori Thakur's formula is implemented not only in Bihar but all over the country.

Dr Ambedkar had once said that if two horses – one strong and another weak – are fed from the same basket of gram, the strong one will gobble up the entire stock, leaving little for the weak one. This is what is exactly happening vis-à-vis the OBC quota.

When I was a member of Parliament, I had tabled a private member's bill in 2008, calling for the bifurcation of OBC quota at the central and state levels, arguing that this was the centre's responsibility. If this is done, it will be biggest step towards social justice in the current decade.

*Former Congress MP **Haribhau Rathod** is the national president of Vimukt Ghumantu Mahasangh and a member of the Maharashtra Legislative Council*

भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपनी सूचियों का वर्गीकरण करेंगीं, सम्बंधित राज्यों की केंद्रीय सूची में भी उसके अनुरूप परिवर्तन किये जा सकते है।

इसके पूर्व, 2006 में विमुक्त घुमंतू समाज के उत्थान के उपाय सुझाने के लिए बालकृष्ण रेणके आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 2008 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी और विमुक्त घुमंतू समाज के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की। लेकिन भारत सरकार के पास इस समाज की जनसंख्या का आंकडा नहीं होने से यह सिफारिश पूरी तरह लागू नहीं की जा सकी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का जाति जनगणना करवाने का निर्णय स्वागतयोग्य है।

सन 2015 में दादासाहेब इदाते कमीशन गठित किया गया। इस आयोग से कहा गया है कि वह पूरे देश के विमुक्त समुदायों की सूची तैयार करे और उनके उत्थान के उपाय सुझाये। इस आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है परन्तु इसकी रिपोर्ट आने में दो साल लगेंगे। हम चाहते हैं कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे। हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष यह मांग उठाई है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का सही ढंग से विभाजन हो और अत्यंत पिछड़ों को वे सभी सुविधाएँ दी जाएं जो अनुसूचित जाति/जनजाति को दी जा रही हैं।

यही बात हम गत 20 सालों से कहते आ रहे हैं और पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। फारवर्ड प्रेस के नवंबर, 2011 अंक में इस संबंध में प्रकाशित मेरा एक लेख भी चर्चित हुआ था, जिसका शीर्षक था 'विमुक्ति घुमंतू समाज को चाहिए अलग कोटा'। मंडल आयोग की रपट 1993 में लागू हुई। उसके बाद से यह पाया गया है कि संघ लोकसेवा आयोग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा में ओबीसी कोटे से जो भर्तियाँ हुईं, उनसे कुछ राज्यों की गिनी-चुनी उच्च ओबीसी जातियां ही लाभान्वित हुईं।

अशोक यादव की स्थापना के विपरीत मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ओबीसी की केंद्रीय सूची के विभाजन का प्रस्ताव बहुत ही सराहनीय है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। डा. बाबासाहेब आंबेडकर ने और छत्रपति शाहुजी महाराज ने आरक्षण के बारे में जो नीति बनाई थी और सोच रखी थी, वहीं सोच राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने इस प्रस्ताव के माध्यम से रखी है, ऐसा मैं मानता हूं। इस विषय पर उच्चे ओबीसी के जो नेता हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए और ओबीसी में जो दबे-कुचले हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला को केवल बिहार ही नहीं पूरे देश में लागू करवाने का प्रयास सभी को पूरे मनोयोग से करना चाहिए।

आंबेडकर ने कहा था कि अगर एक टोकरी में चने डालकर एक सशक्त और एक कमजोर घोड़े को खिलाया जाए तो सशक्त घोड़ा पूरा चना खा जाएगा और कमजोर घोड़े को कुछ नहीं मिलेगा। यही आज ओबीसी कोटा के मामले में हो रहा है।

जब मैं सांसद था, तब 2008 में मैने एक विधेयक संसद में पेश किया था। उसका आशय यही था कि ओबीसी आरक्षण का विभाजन केंद्र और राज्यों में भी होना चाहिए और यह काम केंद्र सरकार का है। अगर यह होता है तो सामाजिक न्याय की दिशा में इस दशक का सबसे बड़ा कदम होगा।

कांग्रेस के पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़, विमुक्त घुमंतू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं